

08-10-25

आज ग्रह फावली प्रार्थी वकील द्वारा तलब प्रार्थी पत्र ~~के~~ फलुट करने पर भेजा हुई। उनके द्वारा संबंधित मूल दवे को Not Press किया गया।

अतः प्रार्थी पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 RAM के चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः प्रापक 212 RAM इसी स्तर पर आरिज किया जाता है।

फावली केसल गुमार होकर नंबर से काग हो।
तथा संलग्न मूल वाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर) राज०

Not Press